सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

111

एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन

[कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित अपने अट्ठावनवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठस
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित अपने अट्ठावनवें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई	01
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट-एक	समिति द्वारा अपने अट्ठावनवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।	05
परिशिष्ट-दो	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	16

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

लोक सभा

(2022-2023)

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डा. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्क थन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुथत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन , नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के अट्ठावनवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुित करता हूं।

2. समिति का अट्ठावनवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 15 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चौंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई कार्रवाई को दर्शाते हुए 02 जून, 2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीपकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पतणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; **गिरीश चन्द्र**

23 मार्च,2023 **सभापति**

02 चैत्र ,1945 (शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति(2022-2023), लोक सभा

प्रतिवेदन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित अट्ठावनवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की-गई कार्रवाई ।

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) के अट्ठावनवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की -गई-कार्रवाई से संबंधित है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखा ओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले के संबंध में है, और जिसे 15 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय से की -गई-कार्रवाई उत्तर 02 जून, 2022 को प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, अट्ठावनवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

3. मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि ईपीएफओ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित

करने और भविष्य में विलंब से बचने के लिए, ईपीएफओ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं के कार्य में शामिल प्रत्येक चरण में समय-सीमा निर्धारित की गई है।

4. तथापि, समिति, मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय- सारणी से यह पाती है कि संबंधित लेखा वर्ष के नवंबर/दिसंबर में उनके सक्षम प्राधिकारियों से ईपीएफओ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद , ईपीएफओ द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए 12 दिसंबर तक मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। इस संबंध में, समिति की राय है कि सदन में दस्तावेजों को रखने से पहले , मंत्रालय को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी अर्थात ईपीएफओ के कार्य-निष्पादन और कार्यकलापों की समीक्षा की तैयारी , उनके मंत्री से दस्तावेजों को प्राधिकृत कराने और दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए संसद को भेजना। अत: समिति चाहती है कि समय-सारणी नए सिरे से तैयार की जाए ताकि मंत्रालय को दस्तावेजों को समय से सभापटल पर रखने की सुविधा प्रदान करने में निहित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके और समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जा सके।

5. समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2020-2021 के लिए ईपीएफओ के केवल वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर 7.2.2022 को रखा गया था। जहां तक ईपीएफओ के वर्ष 2020-2021 के लेखाओं परीक्षित लेखों को सभापटल पर रखने का सवाल है , मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में बताया कि ईपीएफओ के लेखा परीक्षित लेखाओं को उस समय तक ईपीएफओ द्वारा ऑडिट अधिकारियों से प्राप्त नहीं किया गया था। समिति मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाबों से यह पाती है

कि ईपीएफओ के वार्षिक लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए 8.10.2021 को लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था।

इस संबंध में समिति श्रम और रोजगार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और विभिन्न संगठनों के लेखा परीक्षित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के मामले को वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के साथ उठाया जाए। वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) ने दिनांक 18 मई, 2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 15 (37)-बी-(आर एंड सी)/ 2021 के माध्यम से यह बताया है कि इस मामले की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने कार्यालय ज्ञापन 251/आर.सी.(ए.बी.)/पी.ए.सी/04-20/2019 के माध्यम से अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि –

> "निर्धारित समय सीमा के अनुसार , सीएबी द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित वार्षिक लेखाओं को 30 जून तक सीएजी को (या इसके नामित फील्ड फॉर्मेशन) को उपलब्ध कराया जाना है। लेखा परीक्षा के बाद सीएजी/नामित फील्ड फॉर्मेशन को 31 अगस्त तक अर्थात् दो महीने में सीएबी को एक पृथक प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) जारी करना अपेक्षित है। सीएबी के पास मसौदा एसएआर में लेखा परीक्षा अवलोकन का जवाब देने के लिए 14 सितंबर तक का समय है। जवाबों पर विचार करने के बाद, अंतिम एसएआर जिसमें सीएजी द्वारा सीएबी को 31 अक्टूबर तक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, जिसके बाद सीएबी इसे संसद में प्रस्तुत करता है। उपरोक्त समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा की योजना बनाई जाती है। यदि सीएबी किसी भी समयसीमा को पूरा करने में विफल रहता है , तो पूरी

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लगातार विलंब का जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि लेखापरीक्षा को संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपनी लेखापरीक्षा योजना को फिर से तैयार करना पड़ता है और साथ ही पहले से निर्धारित लेखापरीक्षा योजना को पूरा करने की आवश्यकता होती है।"

अत: समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय/ईपीएफओ द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और उत्तरवर्ती वर्षों के लिए ईपीएफओ का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

6. समिति आगे नोट करती है कि वर्ष 2020-2021 के लिए ईपीएफओ के लेखापरीक्षित लेखाओं को 12 माह के विलम्ब से सभा पटल पर रखा गया था। मंत्रालय/ईपीएफओ ने प्रयास किए हैं और वर्ष 2021-2022 के लिए ईपीएफओ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा गया है , लेकिन समीक्षा विवरण, जैसा कि समिति ने 22 दिसंबर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक) के पैरा 3.6 से 3.8 में सिफारिश की थी, मंत्रालय द्वारा सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि वर्ष 2021-2022 के लिए समीक्षा विवरण जल्द से जल्द सभा पटल पर रखा जाये। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए कि ईपीएफओ के अपेक्षित दस्तावेज भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जाएं। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाये।

नई दिल्ली; **गिरीश चन्द्र**

23 मार्च, 2023 **सभापति**

02 चैत्र,1945 (शक) **सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

परिशिष्ट –एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोकसभा) , सत्रहवीं लोक सभा के 58वें प्रतिवेदन में अं तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कारवाई को दर्शाने वाला विवरण

(सिफारिश क्रम सं. 25)

समिति यह नोट करती है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ , नई दिल्ली ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (5 वीं लोक सभा) के पैरा 1.16 और 3.5, 5वीं लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन के पैरा 4.16 एवं 4.18 और छठी लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन के पैरा 1.12 एवं पैरा 2.6 से 3.8 में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों में निर्धारित समय - सीमा का पालन नहीं किया है। ये प्रतिवेदन सभा पटल पर क्रमशः 08.03.1976, 12.05.1976 और 22.12.1977 को रखे गए थे। लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर कागजात सभा पटल पर रखने की अनिवार्यता का अनुपालन नहीं किया गया है।

सरकार का उत्तर

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैराग्राफ 74 के अनुसार, केंद्रीय बोर्ड (ईपीएफ) और उसके लेखा परीक्षित लेखों के काम और गतिविधियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया जाएगा और संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दस दिसंबर से पहले आयोजित की जाने वाली केंद्रीय बोर्ड

(ईपीएफ) की बैठक में अंगीकार करने के लिए रखा जाएगा। इसके बाद, इसे संसद के सभापटल पर रखे जाने के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 20 दिसंबर तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

यह उल्लेख किया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका , क्योंकि उस समय तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे।

केंद्रीय बोर्ड (ईपीएफ) के कार्य और गतिविधियों पर 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट ईपीएफओ द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए जुलाई, 2018 में श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। तथापि , वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में मंत्रालय द्वारा कुछ विसंगतियां देखी गईं और ईपीएफओ को सूचित किया गया। ये विसंगतियां 2017 की शुरुआत में ईपीएफओ में संगठनात्मक पुनर्गठन के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों (स्वतंत्र इकाइयों) की संख्या में वृद्धि के कारण हुई थीं। इस प्रकार , ईपीएफओ द्वारा 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में सुधार किया गया और इसे पुनर्मुद्रित किया गया। यह कवायद मई, 2019 में पूरी की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप एक व्यापक प्रभाव पड़ा जिससे उत्तरवर्ती के वर्षों के लिए ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में देरी हुई।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों में निम्नानुसार प्रस्तुत की गईं:

वर्ष	लोक सभा के पटल पर रखे जाने की तारीख	राज्य सभा के पटल पर रखे जाने की तारीख
2016-17	01.07.2019	03.07.2019
2017-18	19.09.2020	18.09.2020
2018-19	08.02.2021	03.02.2021
2019-20	26.07.2021	28.07.2021
2020-21	07.02.2022	20.12.2021

वर्ष 2020-21के लिए ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष सभा पटल पर रखने के लिए दिनांक 15.12.2021को दोनों सदनों के सचिवालय को भेजी गई थी। इसलिए , लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता को वर्ष 2020-21 से सुव्यवस्थित किया गया है।

वर्ष 2016-17 से 2019-20 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ ईपीएफओ के वार्षिक लेखों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर निम्नानुसार रखा गया:

वर्ष	**लोक सभा के सभा पटल पर रखे जाने की तारीख**	**राज्य सभा के सभा पटल पर रखे जाने की तारीख**
2016-17	10.08.2018	10.08.2018
2017-18	25.11.2019	27.11.2019
2018-19	08.02.2021	03.02.2021
2019-20	04.04.2022	31.03.2022

वर्ष 2020-21के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ ईपीएफओ के वार्षिक लेखों को सदन पटल पर प्रस्तुत करने में विलम्ब का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**विवरण**	**2020-21**
1	लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली के समक्ष समेकित वार्षिक लेखों (सामान्य प्ररूप) की प्रस्तुति की तारीख	08-10-2021
2	लेखा-परीक्षा की तारीख	10-01-2022 से 15-03-2022
3	डीजी(ए)सीई से लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट का प्रारूप प्राप्त होने की तारीख	वर्ष 2020-21 के लिए लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट का प्रारूप डीजी(ए)सीई से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
4	लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के प्रारूप पर टिप्पणियों को डीजी(ए)सीई को अग्रेषित करने की तारीख	
5	लेखा-परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली से लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	
6	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अंगीकार किए जाने की तारीख	
7	श्रम और रोजगार मंत्रालय को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तारीख	

(श्रम और रोजगार मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं. एच-11025/2/2022-एसएस-II दिनांक 2 जून, 2022)

(सिफारिश क्रम सं.26)

ईपीएफओ, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों की जांच करते हुए समिति यह नोट करके बहुत निराश है कि वार्षिक प्रतिवेदन और विलंब संबंधी विवरण को लगभग18 महीने के विलंब से 01.07.2019 को सभा पटल पर रखा गया और इस तरह इसे इस आधार पर , उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 40 से बढ़कर 120 हो गई जैसाकि मंत्रालय की, ओर से बताया गया है। इस विलंब से बचा जा सकता था क्योंकि कार्यालयों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय योजनाबद्ध था और इससे पत्रों को सभा पटल पर समय से रखने की अनिवार्यता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। वर्ष 2017-18 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के लिए कोविड- 19 महामारी के प्रभाव को समझा जा सकता है। तथापि, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि मंत्रालय और ईपीएफओ, नई दिल्ली, वार्षिक लेखाओं को निर्धारित समय से तैयार करने में नाकाम रहे हैं और पत्रों को 18 महीने के विलंब से 19.09.2020 को सभा पटल पर रखा गया।समिति इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय और संगठन की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुसार वर्ष 2018-19और 2019-20के वार्षिक प्रतिवेदनों और विलंब संबंधी विवरण को, यद्यपि विलंब से, 08.02. 2021 और 26.07.2021 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया। हालांकि, वर्ष 2019-20के लेखापरीक्षित लेखाओं को अभी भी सभा पटल पर नहीं रखा गया । समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि इस समिति की पूर्व में की गई सिफारिश के अनुसार, इसे भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

यह उल्लेख किया जाता है कि ईपीएफओ के वार्षिक लेखे वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ दिनांक 31.03.2022को राज्य सभा के पटल पर रखे गए और दिनांक 04.04.2022 को लोकसभा को प्रस्तुत किए गए थे।

संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए सदनों के सचिवालय को वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट भेजने के समय, उक्त वर्ष की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। अत:, इन दस्तावेजों को माननीय समिति की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए साथ-साथ नहीं रखा जा सका।

ईपीएफओ, नई दिल्ली के वार्षिक लेखों की तैयारी में देश भर में फैली 135 लेखा इकाइयों/कार्यालयों से लेखों/इनपुटों के संग्रह और समेकन सहित कई चरण शामिल हैं। समेकित वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जा ती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट टीम की नियुक्ति से लेकर लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। प्रक्रिया निम्नानुसार दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1	देश भर में फैली लेखा इकाइयों से लेखों के आंकड़ों का संग्रहण	ईपीएफओ के वार्षिक खातों की तैयारी में पूरे देश में फैली 135 लेखा इकाइयों/कार्यालयों से लेखों/इनपुटों का संग्रह ण और समेकन शामिल है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित लेखा इकाइयों/कार्यालयों के परामर्श से कई बार इसकी जांच की जाती है, जिसमें समय लगता है।

2	केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत मुद्दे	केंद्रीकृत रसीद मॉड्यूल की शुरूआत तथा सूचना सेवा और बैंकिंग विभाग के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मिलान में सही आंकड़े प्रदर्शित करने में समय लगा , जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वार्षिक लेखा तैयार करने और मुख्यालय को आगे प्रस्तुत करने में देरी हुई।
3	डीजीएसीई द्वारा लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र	हस्ताक्षर किए गए समेकित वार्षिक लेखे लेखा-परीक्षा के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजे जाते हैं। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षा दल मुख्यालय स्तर पर वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा करता है। इसी प्रकार, राज्य लेखा-परीक्षा दल ईपीएफओ के आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों की लेखा-परीक्षा करते हैं। लेखा-परीक्षा और उसके पश्चात नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र जारी करने में कुछ माह का समय लग जाता है।
4	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुति	लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद, वार्षिक लेखों को अनुमोदन प्रदान के लिए वित्त, निवेश और लेखा-परीक्षा समिति (एफआईएसी), इसके बाद कार्यकारी समिति (ईसी), तथा अंत में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के समक्ष अंगीकर करने हेतु रखा जाता है, इस प्रकार इसमें एक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है जिसमें समय लगता है। तत्पश्चात, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के लिए वार्षिक लेखे श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं।

पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भविष्य में देरी से बचने के लिए , वार्षिक लेखों के कार्य में शामिल प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।तदनुसार, ईपीएफओ द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के वार्षिक लेखों की तैयारी से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि के लिए समय-सीमा के साथ दिनांक 17.03.2022 का परिपत्र **(अनुबंध-I)** जारी किया गया है।

(श्रम और रोजगार मंत्रालय का.ज्ञा. सं. एच -11025/2/2022-एसएस-II दिनांक 2 जून, 2022)

(सिफारिश क्रम सं. 27)

समिति आगे यह भी नोट करती है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के दस्तावेजों को ईपीएफओ, संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर निर्धारित समय में रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं बना पाया है जो एक गंभीर चिंता का विषय है। समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की ओर से व्यापक व समग्र प्रयास किए जाने चाहिए और समिति को इन निर्देशों के अनुपालन और साथ ही भविष्य में विलंब से बचने के लिए मंत्रालय की ओर से किए गए उपायों से अवगत कराया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

ईपीएफओ के दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और समग्र प्रयासों के लिए माननीय समिति की सिफारिशों को सही भावना और संकल्प के साथ लिया गया है और एक कुशल निगरानी तंत्र अब अस्तित्व में है।पूर्व में, कार्य को पूरा करने के लिए चरणवार समय दर्शाने वाली

कोई समय सारिणी निर्धारित नहीं की गई थी। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और भविष्य में देरी से बचने के लिए , **वार्षिक रिपोर्ट** के कार्य में शामिल प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

क्र.सं.	**कार्यकलाप**	**समय-सीमा**
1.	प्रधान कार्यालय के प्रभागों से डेटा/सामग्री का प्रस्तुतीकरण	अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जुलाई तक।
2.	वार्षिक रिपोर्ट का संकलन	अगस्त से सितंबर तक।
3.	संबंधित प्रभागों द्वारा संकलित रिपोर्ट की यर्थाथता को प्रमाणित करना	1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक।
4.	वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद एवं मुद्रण	16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक।
5.	ईसी और सीबीटी के समक्ष प्रस्तुत करना	1दिसंबर
6.	वित्तीय वर्ष के 20 दिसंबर तक संसद के समक्ष रखने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत करना।	12 दिसंबर

ऐसे विलंब से बचने के लिए उपरोक्त कार्य योजना को आरंभ करने के बाद वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट दिनांक 15.12.2021 को सदनों के सचिवालय को प्रेषित की गई थी और संसद के समक्ष निर्धारित अवधि अर्थात दिनांक 20.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखी गई एवं दिनांक 07.02.2022 को लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

तदनुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्ष 2021 -22 की वार्षिक रिपोर्ट सांविधिक समय-सीमा को भी पूरा करेगी।

वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सीमा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गतिविधि	समय-सीमा
1.	प्रधान कार्यालय के आंचलिक कार्यालयों/ प्रभागों से डेटा/सामग्री का प्रस्तुतीकरण	अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल से मई तक।
2.	वार्षिक लेखों का संकलन तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना	जून
3.	वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा	जुलाई और अगस्त
4.	प्रारूप एसएआर एवं लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र	सितंबर-अक्टूबर
5.	एफआईएसी, ईसीऔर सीबीटीके समक्ष प्रस्तुत करना	नवम्बर/दिसम्बर
6.	वित्तीय वर्ष के 20 दिसंबर तक संसद के समक्ष रखने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत करना।	12 दिसंबर तक

ऐसे विलंब से बचने के लिए उपरोक्त कार्य योजना को आरंभ करने के बाद, वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे सांविधिक समय-सीमा को पूरा करेंगे।

(श्रम और रोजगार मंत्रालय का.ज्ञा. सं. एच11025/2/2022-एसएस-II दिनांक 2 जून, 2022)

(सिफारिश क्रम सं. 28)

समिति मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ईपीएफओ, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय में नहीं रखा जा सका तो अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि में सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका, इसके कारण दर्शाने वाला एक विवरण लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीने की निर्धारित समयावधि के बाद 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सदन की बैठक बुलाई जाए , जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

माननीय समिति द्वारा दी गई सुविचारित सलाह को अक्षरश: अनुपालन के लिए नोट किया जाता है। भविष्य में यदि कोई विलंब होता है तो निर्धारित समय की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर विलंब के कारणों को दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

(श्रम और रोजगार मंत्रालय का.ज्ञा. सं. एच11025/2/2022-एसएस-II दिनांक 2 जून, 2022)

(विभा भल्ला)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट-दो

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1- 5 xx xxx xx

6. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 58वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों टिप्पणियों पर/सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई-;

7. 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx xx xx xx
Xx xx xx xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।